



135

!! श्री !!

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, इन्दौर केंद्र

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2018

निगरानी-4250/2018/खरगोन/भू-रा.

शेरू पिता भगवान यादव

निवासी:- ग्राम लाडवी, तहसील महेश्वर

जिला खरगोन

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर

श्री ... 21/2/2018

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 04-6-18 निगरानीकर्ता को प्रस्तुत।

विरुद्ध

म.प्र. शासन तर्फे

04.06.2018

अधीक्षक आयुक्त कार्यालय

हल्का नं. 24, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन

... प्रत्यर्थी

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :-

निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी श्रीमान तहसीलदार महोदय, महेश्वर के प्रकरण क्रमांक 12/ए68/2017-18 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4/5/2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत है।

यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतरगत धारा 43 व 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता सहपठित आदेश 7 नियम 11 सि.पी.सी. को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया है जो विधी कि मंशा के विपरित आदेश प्रदान किया है, जो निरस्ती योग्य है।

अतः ऐसा आदेश प्रवर्त रहता है तो निगरानीकर्ता को

... न्याय की विफलता होगी व निगरानीकर्ता को अपूर्णिय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/4250/2018/खरगोन/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री मुकेश तारे उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>अध्यक्ष</p>